संख्या– /XXII(1)/2018–2(4)2017 टी.सी.I

प्रेषक,

डॉ॰ पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 19 अप्रैल, 2018

सूचना अनुभाग–01

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–519 /3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल 2018 तथा आपके पत्र संख्या–335/सू॰एव॰ लो॰सं॰वि॰/लेखा/बजट आंवटन/2018–19, दिनांक 05 अप्रैल 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रसार के विभिन्न मानक मदों के राजस्व लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ **556339 हजार (रूपये पचपन करोड़ तिरेसठ लाख उनतालीस हजार मात्र) की धनराशि एवं अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में ₹ 2500 हजार (रूपये पच्चीस लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र उपयोजना में ₹ 1000 हजार (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि** संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. क्रमशः S1804140282, S1804140287, S1804140288, S1804140289,S1804140290, S1804140291, S1804140292, S1804140293, S1804140294, S1804140295, S1804140296, S1804140297, S1804300298, S1804310299 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में नीहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(2) शासन के उक्त स्वीकृति के क्रम में विशेषकर मितव्ययिता से सम्बन्धित मदों में वास्तविक व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों के साथ ही वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल 2018 में नीहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेंजे।

2. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2018–19 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्यय प्रावधान की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु जारी की जा रही धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याणार्थ संचालित योजना पर व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31–03–2019 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1) /2018, दिनांक 02 अप्रैल 2018 में निहित दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ॰ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–216 /XXII(1)/18–2(4)2017 टी.सी। तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अनुभाग–5
7. एन॰आई॰सी॰, देहरादून, सचिवालय।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस॰एस॰टोलिया)
संयुक्त सचिव।

Budget.go.in